

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3733/14-10, अलीगढ़: दिनांक: मार्च, 27, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एन0एच0-80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा सं0-30 ग्राम दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 3683/81-2-2022-800(144)/2019 दिनांक 09.03.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1294/11-सी-FP/UP/Others /26736/2017 दिनांक 08.10.2022

महोदया,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों एवं आपके संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का समेकित रूप से निम्न प्रकार निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेख/सूचना 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित है-

क्र.सं.	आपत्ति	उत्तर
1.	दिनांक 16.12.2022 में संलग्न अभिलेखों के अनुसार तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अलीगढ़ को भी दोषी बताया गया है, किन्तु इनके विरुद्ध कार्यवाही कर कोई प्रस्ताव शासन को नहीं उपलब्ध कराया गया है?	अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1284/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/13 दिनांक 25.11.2013 (संलग्नक-1) द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी है। रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में अनापत्ति का कोई उल्लेख अनापत्ति प्रमाण पत्र में नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अलीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी नहीं हैं। अतः कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

3-22/03/23
(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3733/14-10 समदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पो0 लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, ख्वाजा फिलिंग स्टेशन के पीछे, एन0एच0-24, पकवाड़ा, मुरादाबाद-244102। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3-22/03/23
प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

o/c

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अलीगढ़

संख्या 1284/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/13

दिनांक 25-11-2013

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विपिन कुमार, सैल्स ऑफीसर(आर0एस0) द्वारा डिबीजनल एरिया/सैल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या अलीगढ़/कि0मी0स्टोन4 एण्ड 6 एस.एच.80, दिनांक 23.06.2013 द्वारा अनुरोध किया गया है कि गाटा संख्या 30 ग्राम दौलताबाद, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ पर श्रीमती नाजरीन पत्नी श्री मोहम्मद कादिर मकान नं0-05 सागर कॉम्प्लेक्स, अनुपशहर रोड, अलीगढ़ के नाम एक नवीन रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु मानचित्र संलग्न करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया, जिसके कम में नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बन्धी कार्यालय के पत्रोंक 804/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/13, दिनांक 04.07.2013 के कम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़, उप जिलाधिकारी खैर, जिला रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अलीगढ़ से रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त विभागों/अधिकारियों द्वारा जारी संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ की आख्या के आधार पर गाटा संख्या 30 अलीगढ़ गया-मथुरा मार्ग के कि0मी0 5.00 के चैनेज 4.901 पर दायीं ओर ग्राम-दौलताबाद, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ पर श्रीमती नाजरीन पत्नी श्री मोहम्मद कादिर मकान नं0-05 सागर कॉम्प्लेक्स, अनुपशहर रोड, अलीगढ़ को नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :-

प्रतिबंध एवं शर्तें


- 1- किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर विभागों द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
- 2- सरकार किसी भी योजना के जनहित में लागू होने पर दी गई अनुमति मान्य नहीं होगी।
- 3- वर्तमान निर्माण में यदि किसी प्रकार की रद्दो-वदल की जाती है तो उसकी अनुमति पुनः लेनी होगी।
- 4- भारतीय विस्फोटक एवं यू0पी0 फायर सर्विस 1944 के अन्तर्गत धाराओ एवं नियमो एवं उपनियमों का इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पालन किया जायेगा।
- 5- भण्डारण पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 (यथा संशोधित 2000) के अनुरूप ही किया जायेगा।

क- पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहाँ अर्थिग की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो पेट्रोलियम रूल्स 1976 के अनुरूप होनी चाहिए।

ख- विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाईप "जो स्पॉक प्रूफ हो" से होकर गुजारे जाये। इसमें निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली के तारों के साथ ई0एस0सी0वी0 (अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) की व्यवस्था की जाये। स्थल पर निम्न अग्नि सुरक्षा प्राविधानों का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा जैसे ए0बी0सी0फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किय्रा0 12 अदद, सी0ओ0टू0एक्सटिंग्यूसर क्षमता 04 किय्रा0 02 अदद, फायर बकेट मयस्टैण्ड 06 के सैट में 02 सैट, सावेज(बेलचा) 02 अदद, बालू का रिजर्व स्टाक 10 घन फिट, फस्ट एड बॉक्स मय औषधि 02 अदद, धूम्रपान निषेध पट्टिका मुख्य स्थानों पर, वाटर जैल स्टैण्डर्ड साइज 01 अदद, निकट फायर स्टेशन/थाना चौकी, आपातकालीन टेलीफोन नं0 बोर्ड अंकित किये जाये। पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के समस्त निर्माण कार्य को उपकरण पेट्रोलियम रूल्स के मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है।

ओवर हेड इलेक्ट्रिकल (इलेक्ट्रिकल) के तारों की दूरी इण्डियन इलेक्ट्रिकल रूल्स एवं रेगुलेशंस इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (प.प.सी.) के भण्डारण प्रांगण में कार्यरत स्टाफ को पेट्रोलियम पदार्थ की प्रतिक्रियाओं से बचाने के लिए अग्निशमन उपकरणों के रख-रखाव एवं उनके

मुरादाबाद मण्डल कार्यालय / Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0 एच0 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H.-24
पो0-पाकबाड़ा, मुरादाबाद / 244102 (3040)
P.O. Pakbara Moradabad - 244102 (U.P.)



संचालन की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। स्थल पर निकास लाइटनिंग/वेन्टीलेशन की व्यवस्थाएं एन0बी0सी0 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन एवं कन्ज्यूमर यूनिट में एम0सी0बी0 (मेनियेचर सर्किट ब्रेकर) आई एस-8828 के अनुरूप होनी चाहिए। कोई भी ऐसा पदार्थ या प्रक्रिया जो आग या स्पार्क पैदा करता हो का भण्डारण स्थल पर ले जाया जाना सर्वथा वर्जित होगा। भण्डारण प्रांगण की सफाई/हाऊस कीपिंग उच्चकोटि की होनी चाहिए। प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप निर्माणोपरान्त अग्निशमन विभाग से निरीक्षण कराकर स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6- प्रस्तावित निर्माण गाटा संख्या 30 पर ही किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण स्थल अर्बन/औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका की सीमा से बाहर है। आवेदक को स्वयं के प्रयोग के पानी का बहाव एवं मार्ग के वर्षा आदि के पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा, जो मार्ग के किनारे बनायी जाने वाली रोड साइड ड्रेन को किसी भी दशा में बन्द नहीं किया जायेगा। आवेदक को रोड साइड ड्रेन का निर्माण स्वयं के खर्च पर भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण की विशिष्टियों के अन्तर्गत करना होगा। आवेदक द्वारा विभागीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अस्थायी अथवा स्थायी अनाधिकार अवैध कब्जा नहीं किया जायेगा और न सुचारु यातायात के संचालन में किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न किया जायेगा। आवेदक को प्रस्तावित निर्माण की अनुमति मिलने के एक माह के अन्दर विभागीय भूमि को आवागमन के रूप में प्रयोग करने हेतु लीज अनुबन्ध कराना होगा, साथ ही लीज अनुबन्ध की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर समय-समय पर नवीनीकरण कराना होगा। प्रस्तावित स्थल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर दी गयी अनुमति मान्य नहीं होगी बल्कि स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। किसी भी विवाद मामले के उत्पन्न होने पर विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा, जो आवेदक के साथ-साथ सभी विभागों को मान्य होगा। सरकारी किसी भी योजना के जनहित में लागू होने पर प्रदान की गई अनुमति मान्य ही होगी बल्कि स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। आवेदक द्वारा स्वीकृत रिटेल आउटलेट के निर्माण में अथवा पुनः निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की रद्दोबदल की जाती है तो उसकी अनुमति उपरोक्त शर्तों एवं अनुमति का उल्लेख करते हुए पुनः अलग से प्राप्त करनी होगी। भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण के दौरान यदि भवन में कोई क्षति होती है उसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी शर्त का पालन न करने पर दी गई अनुमति मान्य नहीं होगी तथा निरस्त समझी जायेगी। जहाँ तक भू-स्वामित्व का प्रश्न है। उपजिलाधिकारी, कोल की आख्या दिनांक 14.08.2013 के अनुसार निर्माण स्थल पर कोई विवाद नहीं है। सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या-2013/अली0/116/वे0वे0/19 दिनांक 09.07.2013 के अनुसार निम्न शर्तों पर आवेदक को प्रस्तावित बफर स्ट्रिप, रिटेल आउटलेट/डिस्पेन्सर यूनिट एवं निर्माण की अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :- सड़क के मध्य से 18.30 मी0 से अधिक दूरी परिसर के चारों ओर 1.20 मी0 ऊँची ब्रिकवॉल, 03 मी0 चौड़ी व 12.66 मी0 लम्बी बफर स्ट्रिप का प्राविधान प्रवेश/निकास मार्ग के मध्य, परिसर में प्रवेश/निकास हेतु 11.50 मी0 चौड़ाई के दो अलग-अलग गेट एवं अन्य दी गयी शर्तों के अधीन। आवेदक को निर्माण, पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के पश्चात अपने निजी खर्च से दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के आधार पर करना होगा तथा 15 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (ऐनेक्जर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है, एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित 03 माह के अन्तर्गत जमा करा दी जाये। आवेदक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल पम्प को लेपित सतह से ऊँचा नहीं रखा जाये। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड संख्या 12-1983 के अनुसार किया जाए। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पायरिंग की

संजय कुमार / Sanjay Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल) / Senior Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय / Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0 एच0 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H.-24
पी0-पाकबादा, मुरादाबाद/244102 (3040)
P.O. Pakbara Moradabad - 244102 (U.P.)

रखा जाए। आवेदक द्वारा निर्माण सामग्री लोडिंग की सीमा में न रखी जाए। मार्ग के मध्य से 22.86 मी० की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण न किया जायें।

8- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सन्दर्भ संख्या 956/एनओसी-2089/13 दिनांक 18.07.2013 के द्वारा निर्दिष्ट निम्नलिखित शर्तें मान्य होगी :-

क. घरेलू बहिष्कार को सेफ्टी टैंक/साक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर सैप्टिक टैंक/सोकपिट में निस्तारित किया जाये, जिसकी मात्रा क्षमता 20-20 कि०लि० के दो डीजल टैंक व 20 कि०ली० का एक पेट्रोल टैंक की क्षमता के होंगे।

ख. रिटेल आउटलेट पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण एवं पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा।

ग. रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कोई भी क्लिप-कलाप जनहित के प्रतिकूल न की जाये।

घ. रिटेल आउटलेट द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ड. डीजल/पेट्रोल के आकस्मिक रिसाव अथवा किसी प्रकार की अवांछित घटना जैसे आग इत्यादि हेतु कारखाना विभाग के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था की जाये तथा ऑन साइड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार कराकर एक माह में प्रदूषण बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये। उद्योग के विरुद्ध यदि प्रदूषण सम्बन्धी जन शिकायत प्राप्त होती है, तो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

च. रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सम्बन्धित विभागों तथा जिला प्रशासन/अग्निशमन/विस्फोटक इत्यादि विभागों से वांछित अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

छ. रिटेल आउटलेट में प्रस्तावित 20.0 क्यू०मी० क्षमता के डी०जे० सैट के संचालन से उत्पन्न ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित एकोस्टिक चैम्बर की स्थापना की जाये तथा डी०जे० सैट संचालन से उत्सर्जित उत्सर्जन की वायुमण्डल में निकासी हेतु एक चिमनी जो कि चैम्बर की छत से तल से 1.0 मीटर ऊंची हो, स्थापित की जाये तथा ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप हो।

ज. रिटेल आउटलेट विस्फोटक विभाग की निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

झ. रिटेल आउटलेट द्वारा अग्निशमन विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2013 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ट. रिटेल आउटलेट की स्थापना इस प्रकार से की जाये कि वाहनों की पार्किंग की समस्या उत्पन्न न हो जिससे वाहन आवागमन से रोड़ जाम की स्थिति की सम्भावना न रहे। प्रदूषण बोर्ड की शर्त के अनुसार यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.2014 तक वैध है। बोर्ड की शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

वर्तमान में कोई वाद किसी भी न्यायालय में उ०प्र०रो०स०ले०क०ए० 1945 की धारा 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्त के अलावा परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर०डब्ल्यू०/एन०एच० 33023/19/99 डीओ-111 दिनांक 31.08.2000 व आर०डब्ल्यू०/एन०एच० 33023/19/99 डीओ-111 दिनांक 25.09.2003/17.10.03 में दी गई गाइड लाइन एवं शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त दिये गये दिशा-निर्देशों एवं विभागों द्वारा दी गयी शर्तों एवं समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र निष्प्रभावी माना जायेगा।

संलग्नक : मानचित्र की प्रति।

संजय कुमार / Sanjay Kumar
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Senior Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय / Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन० एच० 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H.-24
पी०-पाकभारा, मुरादाबाद / 244102 (स०१०)
P.O. Pakhara Moradabad - 244102 (U.P.)

